फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्रीमती शान्ता देवी** विपक्षी :– **श्री खेमराज**

किस्म मुकदमा :– 212 रा.का.अधिनियम पत्रावली संख्या :– 113/**19**

जीसीएमएस नम्बर :– 2019/00383

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 02.12.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीयां उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद दिनांक 26.11.2025 को स्वीकार किया जाकर नम्बर से कम किया जा चुका हैं। हमारे द्वारा मूल वाद तलब किया जाकर अवलोकन किया गया। मूल वाद के अवलोकन से जाहिर आया है कि मूल वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जा चुका हैं। ऐसे में अब इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर ड्रोप किया जाकर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:52 IST
Reason: SelfAttested